(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4406–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–11–2016 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 53/अपील/2015–16

.....

ओंकारसिंह आत्मज श्री नन्दाप्रसाद रघुवंशी
निवासी ग्राम खिरेटी तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–महेन्द्रसिंह आ0सुंदरलाल रघुवंशी
निवासी बेरखेड़ी तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन
2–हृदयराम आत्मज श्री धनीराम
निवासी ग्राम खिरेटी तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र कटारे, अभिभाषक–आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने उसके स्वामित्व की मौजा ऊँचाखेड़ा तहसील उदयपुरा जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा नम्बर 209/1/3 रकबा 15.00 एकड़ का विचारण न्यायालय के प्रकरण कमांक 27/अ–12/08–09 के माध्यम से सीमांकन कराया गया । सीमांकन में आवेदक का अंशभाग 1.75 एकड़ एवं अनावेदक कमांक 2 का अंशभाग 1.50 एकड़ पर अप्राधिकृत कब्जा पाया गया । अनावेदक कमांक 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा हटाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–70/11–12 दर्ज कर दिनांक 26–5–2012 को कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–12–2015 को आदेश पारित किया जाकर विचार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–11–2016 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से और अनावेदक कमांक 1 को अनुचित लाभ पहुँचाने की दृष्टि से पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में विवादित सीमांकन करा लिया गया है, उक्त तथ्य पंचनामा प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है । ऐसी स्थिति में ऐसा सीमांकन विधि विरूद्ध होने से उसके आधार पर धारा 250 आकर्षित नहीं होती है और न ही ऐसे अवैधानिक सीमांकन के आधार पर अनावेदक कमांक 1 को किसी प्रकार का लाभ लेने का अधिकार प्राप्त होता है । इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क

में यह भी कहा गया कि सीमांकन में आवेदक की भूमि में हस्तक्षेप करते हुये उसके हिस्से की भूमि के रकबे 1.25 एकड़ को अनावेदक कमांक 1 की भूमि में बताया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदक हितबद्ध पक्षकार था उसे सीमांकन के पूर्व सूचना दी जाना आवश्यक थी और यह भी प्रमाणित होता है कि सीमांकन स्थाई चांदे मेड तिमेड आदि स्थाई चिन्हों के बिना किया गया है । उक्त सीमांकन का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से अनावेदक कमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया । यह भी कहा गया कि अनावेदक ने प्रश्नाधीन संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इस संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन से भी अनावेदक कमांक 1 का स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है और स्वत्व प्रमाणित करने हेतु क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय का प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के अभाव में निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया गया है जो संधारणीय नहीं होने से निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं स्पष्ट आदेश था जिस पर सीमांकन आदेश पर अनावेदक कमांक 1 के स्वामित्व की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा माना गया है वह सीमांकन वैधानिक नहीं है क्योंकि सीमांकन की विधिवत् सूचना आवेदक को नहीं दी गई तथा विवादित भूमि के नक्शे में अतिकमित रकबा चिन्हित नहीं किया गया है व किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक नहीं है तथा किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41

नियम 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों पर निगरानी के स्थर पर विचार करने का औचित्य नहीं होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। चूँकि इस प्रकरा का अंतिम रूप से निराकरण किया जा रहा है इसलिये स्थगन का भी औचित्य नहीं होने से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में साक्षियों के कथन किये गये हैं, जिन पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर भी नहीं है । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश भी वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर उचित आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–11–2016, अनुविभागीय अधिकारी उदयपुरा जिला रासयेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2015 एवं नायब तहसीलदार तहसील उदयपुरा जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–2012 निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर